न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

मुकदमा सं0 : 5/2025

उनवान :

महेन्द्रसिंह पुत्र सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. सींगा उर्फ सिंगाराम पुत्र भागमल जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
2. मंगलचंद पुत्र सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
3. विद्यादेवी पत्नी सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
4. मायादेवी पत्नी शेरसिंह पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार।
5. सोनादेवी पत्नी पान्नाराम पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 10, 6 बीपीएससम पौस्ट 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।
6. बनारसी पत्नी रमेश पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 10, 6 बीपीएससम पौस्ट 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राममूर्ति ताखर **: वादी**

वकील श्री आबिद खान **: प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

निर्णय **दिनांक :** 28-03-2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बौझला के खाता सं0 177/154 के ख0सं0 311/268, 314/241, 316/261, 322/93, 365/320 कुल खसरे 5 की 6.0756 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 7 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर जवाबी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:10 IST
Reason: Self Attested

साक्ष्य वादी में महेन्द्रसिंह पुत्र सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं जमाबंदी ग्राम बौझला खाता संख्या 177/154 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम बौझला खाता संख्या 5/5 सम्वत 2001 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बौझला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं

Kalpit
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

...त्मा का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व ... में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस ... मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ... किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ...वेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बोझला के ...स्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद ...श किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 ...से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा बौझला के खाता सं0 177/154 के ख0सं0 311/268, 314/241, 316/261, 322/93, 365/320 कुल खसरे 5 की 6.0756 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बौझला के खाता सं0 177/154 के ख0सं0 311/268, 314/241, 316/261, 322/93, 365/320 कुल खसरे 5 की 6.0756 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी महेन्द्रसिहं व प्रतिवादी संख्या 2 मंगलचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

...सं0 : 5/2025

...:
महेन्द्रसिंह पुत्र सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सींगा उर्फ सिंगाराम पुत्र भागमल जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
2. मंगलचंद पुत्र सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
3. विद्यादेवी पत्नी सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा।
4. मायादेवी पत्नी शेरसिंह पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार।
5. सोनादेवी पत्नी पान्नाराम पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 10, 6 बीपीएससम पौस्ट 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।
6. बनारसी पत्नी रमेश पुत्री सींगा उर्फ सिंगाराम जाति मेघवाल निवासी बौझला तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 10, 6 बीपीएससम पौस्ट 4 सीवाईएम तहसील रावतसर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर एवं वकील प्रतिवादीगण श्री आबिद खान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बौझला के खाता सं0 177/154 के ख0सं0 311/268, 314/241, 316/261, 322/93, 365/320 कुल खसरे 5 की 6.0756 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सींगा उर्फ सिंगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी महेन्द्रसिहं व प्रतिवादी संख्या 2 मंगलचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner